Accountant

फर्द अहकाम

गणेश बनाम ओम

नाम न्यायालय

केस संख्या 11/24 TR

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र के मद संख्या-2 में अंकित विवादित आराजी का बेचान नहीं करे। अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 आ.ता. पेशी पर आवश्यकरूप से जवाब-प्रा०पत्र पेश करे। पत्रावली वास्ते जवाब-प्रा० पत्र दिनांक 28/3/2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	28/3/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय "दूसरे कार्य" के व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/4/24 को पेश हो।
	29/4/2024	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 उप०। प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण बिना [illegible] विवादित आराजी का बेचान [illegible] अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थी 1 ता 6 के जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की। जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी पक्ष द्वारा बहस किये गये कथनों व तर्कों का

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:40:19 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम

रोशनकरण **बनाम** भैरू

प्रपत्र 11/2024 (T.R.)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	विवेचन किया गया। पक्षकारान के मध्य बंटवारे का सद्भाविक विवाद है। अप्रार्थीगण बिना बंटवारा किये विवादित खातेदारी का बेचान करना चाहते हैं अतः वाद बाहुल्यता को रोकने व प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने पर दिनांक 5/3/2024 को जारी किये गये आदेश को हलवाद के निस्तारण तक स्थायी किया जाता है। पत्रावली कार्यवाही [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:40:19 IST
Reason: SelfAttested